व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल करने में प्रदेश को पहला स्थान

- डी-रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में सभी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन
- राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली व इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़े

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊः व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार के डी-रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। भूमि, भवन एवं निर्माण, श्रम, उपयोगिताओं और अनुमतियों सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों के 23 प्राथमिक सुधारों के आधार पर यह स्थान हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को पूरी तरह से लागू किया है।

केंद्र सरकार ने सरकारी दखलंदाजी कम करने के उद्देश्य से डी-रेगुलेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें सभी राज्यों को 23 प्राथमिक सुधारों को लागू करना है। प्रदेश में भूमि संबंधी सुधार, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल करते हुए डिजिटल करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई मानकों को सुधारना, उपलब्ध औद्योगिक भूमि का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) आधारित लैंड बैंक विकसित कर उसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आइआइएलबी) से एकीकृत किया गया है। इसके अलावा भवन एवं निर्माण क्षेत्र में औद्योगिक व वाणिज्यिक भूखंडों में भूमि हानि को कम करने के लिए भवन विनियमों में संशोधन किया गया है। श्रम सुधारों के तहत जोखिमपूर्ण उद्योगों में महिलाओं के कार्य पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया। कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात में कार्य करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कार्य समय की सीमाओं में बदलाव किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्राविधानों में संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू किया गया। सभी राज्य स्तरीय सेवाओं को राज्य सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्लूएस) से एकीकृत किया गया। इससे सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आई है।

MAGZTER